—: आदेश :—

फिरोज आ0 महफूज खॉ निवासी आड़ा बाजार चौमहला थाना गंगधार को दिनांक 07.03.18 से 7 दिन (सात दिवस) के लिए थाना गंगधार व जिला झालावाड़ की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अवधि मे वह पुलिस थाना केशेरायपाटन जिला बूंदी के थानाधिकारी को प्रति दिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियो की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम मे लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गॉजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नही होगा। शान्ति बनाये रखने व सदाचारी बने रहने हेतु 10,000/—रू0 अक्षरे (दसहजार रूपये) के स्वंय का मुचलका प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2018 को खुले न्यायालय मे टंकित कराया जाकर, मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

(भवानी सिंह पालावत)
अति0जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़

निर्णय बईजलास भवानी सिंह पालावत, आर0ए0एस0, अति0जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

प्रकरण सख्या 39/17 दायरा– 11.09.17

राजस्थान सरकार जर्ये पुलिस अधीक्षक झालावाड़

सायल

बनाम

फिरोज आ0 महफूज खॉ निवासी आडा बाजार चौमहला थाना गंगधार

गैर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :– गैर सायल स्वंय

–: आदेश :– दिनांकः– 06.03.2018

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक झालावाड की और से फिरोज आ0 महफूज खॉ निवासी आड़ा बाजार चौमहला थाना गंगधार के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 5868 दिनांक 31.08.17 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरूद्व थाना गंगधार में निम्न मुकदमें दर्ज है :–

क0स0	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	146/15	13 आरपीजीओ	100 जुर्माना
2	43/17	13 आरपीजीओ	100 जुर्माना
3	122/17	13 आरपीजीओ	100 जुर्माना

जिनमें न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त रहता है। गेर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरूद्व गवाही देने से डरते है इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वचछन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जर्ये नोटिस तलब किया गया । गैर सायल की ओर से वकील रामबिलास राठोर द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया परन्तु दौराने बहस अनुपस्थित रहे गैर सायल स्वंय द्वारा अनुरोध किया कि अब शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है, जुर्म स्वीकार है, लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मैंने गैर सायल की मौखिक बहस का मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर राज0गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सन्तुष्ट होकर मै गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)